<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings) Monday, 27 March 2023 / 06 Chaitra 1945 (Saka)

No. 41 11.04 AM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 11.04 AM Special Mention (Rule-280):

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair.

Shri Som Dutt 10. Shri Virender Singh Kadian 1. 2. Shri Haji Yunus 11. Shri Akhilesh Pati Tripathi 12. Shri Pawan Sharma 3. Shri Ajay Mahawar 4. Shri Anil Kumar Bajpai 13. Shri Jai Bhagwan Shri Om Prakash Sharma 14. Shri Girish Soni 6. Shri Ajay Dutt 15. Shri Naresh Yadav Shri Mohan Singh Bisht 7. 16. Ms. Bhavna Gaur Shri Rituraj Govind 17. Shri Surendra Kumar Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble 18. Smt. Rajkumari Dhillon Leader of Opposition 19. Shri Abhay Verma

- 2. 11.54 AM The Chair congratulated Ms. Neetu Ghanghas, Ms. Saweety Boora, Ms. Nikhat Zareen and Ms. Lovlina Borgohain for winning Gold Medals for India in the Women World Boxing Championship, 2023.
- 3. 11.55 AM The Chair informed the House that he had received a Notice of breach of privilege under Rule-66 from Shri Ajay Mahawar against Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance and Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development for leaking the contents of Budget.

The Chair informed the House that he had examined the matter and did not find any merit in the allegation that there was a leakage of Budget details. The Chair also cited a precedence dated 03rd March, 1956 in which Hon'ble Speaker of Lok Sabha had ruled that furnishing of information related to Budget does not amount to a breach of privilege. The Chair, accordingly, disallowed the Notice.

- 4. 11.56 AM **Shri Jarnail Singh, Hon'ble Member** called the attention of the House to the Public Grievance Portal of Prime Minister's Office (PMO) and took exception to the caption "Sikh Terrorist activities in India/abroad".
- 5. 12.04 PM **Discussion on Annual Budget 2023-24:**

Discussion on Annual Budget 2023-24 presented by Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance on 22 March 2023 commenced:

The following Members participated in the discussion:

- 1. Shri Somnath Bharti
- 2. Shri Rajendra Pal Gautam
- 3. Shri Ajay Dutt
- 4. Shri Surendra Kumar
- 5. Ms. Bhavna Gaur
- 6. Shri Abhay Verma
- 6. 01.10 PM The Chair adjourned the House till 02:00 PM for Lunch.
- 7. 02.07 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

- 8. 02.07 PM **Discussion on Annual Budget 2023-24 continued:**
 - 7. Shri Naresh Yadav
 - 8. Smt. Preeti Jitender Tomar
 - 9. Shri Sahi Ram
 - 10. Shri Pawan Sharma
 - 11. Shri Om Prakash Sharma

(02.50 PM: Shri Madan Lal, Hon'ble Member requested the Chair to allow Short Duration Discussion (Rule-55) on the issue related to "Financial loss to Union Government Exchequer and Public due to a private company and no inquiry being conducted by Union Government in this regard".

The Chair informed the House that the Short Duration Discussion (Rule-55) will be taken up on 28.03.2023.

The Chair, taking the sense of the House, extended the sitting of the House for 29.03.2023. The Chair also informed that Notices for Special mention under Rule-280 for the sittings of the House on 28.03.2023 & 29.03.2023 be submitted in the Notice Branch.)

- 12. Shri Virender Singh Kadian
- 13. Shri Praveen Kumar
- 14. Shri Abdul Rehman
- 15. Shri Akhilesh Pati Tripathi
- 16. Shri Mohinder Goyal
- 17. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance replied to the discussion.

(04.04 PM: Shri Abhay Verma, Hon'ble Member started arguing with the Hon'ble Minister of Finance and disrupted the proceeding of the House.

The Chair repeatedly requested the Hon'ble Member to take his seat, but however the Hon'ble Member continued to argue with Hon'ble Minister of Finance and the Chair. As per directions of the Chair, the Marshalls escorted Shri Abhay Verma, Hon'ble Member out of the House as he refused to withdraw in spite being named by the Chair.

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister also expressed his views.

9. 04.40 PM Consideration & Passing of Demands for Grants for the financial year 2023-24:

The Demands for Grants presented on 22nd March 2023 by **Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance** were considered demand-wise.

The Demands were put to vote and adopted by voice vote.

10. 04.46 PM **Appropriation (No.3) Bill, 2023:**

Hon'ble Minister of Finance introduced the 'The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2023' (Bill No. 04 of 2023) with the leave of the House.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

The Bill was considered clause-wise.

Hon'ble Minister of Finance moved that the Bill be passed.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

11. 04.50 PM The Chair read out a statement informing the House that Finance Department has issued an order dated 22.03.2023 that Principal Secretary, Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi will be the Administrative Secretary and HOD of Delhi Legislative Assembly despite the fact that the Law Department has time and again clarified that Law Department is not and cannot be Administrative Department of Delhi Legislative Assembly.

The Chair requested Hon'ble Minister of Finance to direct Finance Department to withdraw order dated 22.03.2023, before Delhi Legislative Assembly initiates any action in this matter, and implement the recommendations of General Purposes Committee adopted by the House on 27.02.2019 and All India Presiding Officers Conference held in Shimla from 17-19 December, 2021 giving financial autonomy to State Legislatures.

The Chair requested the Secretary (LAS) to share the Ruling/Directions of the Chair along with relevant documents with the Hon'ble Members.

12. 04.56 PM The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Tuesday, 28 March 2023.

Delhi 27 March, 2023 Raj Kumar Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख) सोमवार, 27 मार्च, 2023 / चैत्र 06, 1945 (शक्)

संख्या-41 11.04 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

11.04 बजे विशेष उल्लेख (नियम-280) :

> निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :--

- 10 श्री विरेंद्र सिंह कादियान श्री सोम दत्त श्री अखिलेश पति त्रिपाठी श्री हाजी यूनुस 11 2 श्री अजय महावर श्री पवन शर्मा 12 3 श्री अनिल कुमार बाजपेयी श्री जय भगवान 13 4 14 श्री गिरीश सोनी श्री ओम प्रकाश शर्मा 5 श्री नरेश यादव 6 श्री अजय दत्त 15
- सुश्री भावना गौड श्री मोहन सिंह बिष्ट 7 16 श्री सुरेंद्र कुमार श्री ऋतुराज गोविंद 17 8
- श्री रामवीर सिंह बिध्रुड़ी, माननीय नेता 18 श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों श्री अभय वर्मा 19
- अध्यक्ष महोदय ने सुश्री नीतू घनघस, सुश्री स्वीटी बूरा, सुश्री निकहत जरीन और सुश्री 11.54 बजे 2. लवलीना बोरगोहेन को महिला विश्व बाक्सिंग चैम्पियनशिप, 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी।
- अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अजय महावर, माननीय सदस्य से श्री 3. कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री और श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री के विरूद्ध बजट की विषयवस्तु लीक करने के संबंध में नियम-66 के तहत विशेषाधिकार हनन की सूचना प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने मामले की जांच की है और उन्हें बजट का विवरण लीक होने के आरोप का कोई योग्य आधार नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 03 मार्च, 1956 के उदाहरण का उल्लेख किया जब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि बजट से संबंधित जानकारी देने से विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं होता।
- श्री जरनैल सिंह, माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के जन शिकायत पोर्टल की तरफ दिलाया और "भारत / विदेशों में सिख आतंकी गतिविधियों" शीर्षक पर आपत्ति जताई।
- वार्षिक बजट (2023-24) पर चर्चाः 12.04 बजे

श्री कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को प्रस्तुत वार्षिक बजट (2023-24) पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- 1. श्री सोमनाथ भारती
- 2.श्री राजेंद्र पाल गौतम
- 3.श्री अजय दत्त
- 4.श्री सुरेंद्र कुमार
- 5. सुश्री भावना गौड़
- 6. श्री अभय वर्मा
- अध्यक्ष महोदय ने सदन भोजनावकाश के लिए मध्याहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित 01.10 बजे 6. किया।
- सदन पुनः समवेत हुआ। 02.07 बजे 7. अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 02.07 बजे वार्षिक बजट (2023-24) पर चर्चा जारी : 8.
 - 7.श्री नरेश यादव
 - 8. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
 - 9.श्री सही राम
 - 10. श्री पवन शर्मा

11. श्री ओम प्रकाश शर्मा

(02.50 बजे : श्री मदन लाल, माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से "एक निजी कम्पनी के कारण केंद्र सरकार के खजाने और जनता को हो रहे वित्तीय नुकसान तथा केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में कोई जांच नहीं करने" के संबंध में अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) की अनुमित देने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) दिनांक 28.03.2023 को होगी।

अध्यक्ष महोदय ने, सदन की भावना को समझते हुए, सदन की बैठक दिनांक 29.03.2023 तक के लिए बढा दी।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि दिनांक 28.03.2023 और 29.03.2023 को होने वाली सदन की बैठकों के लिए नियम–280 के तहत सूचनायें नोटिस ब्रांच में दी जा सकती हैं।)

- 12. श्री विरेंद्र सिंह कादियान
- 13. श्री प्रवीण कुमार
- 14. श्री अब्दुल रहमान
- 15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
- 16. श्री महेंद्र गोयल
- 17. श्री रामवीर सिंह बिध्रुड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.04 बजे : श्री अभय वर्मा, माननीय सदस्य ने माननीय वित्त मंत्री के साथ तर्क-वितर्क करना प्रारम्भ कर दिया और सदन की बैठक में बाधा पहुंचाई।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से बार-बार आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया लेकिन माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष महोदय के साथ लगातार तर्क-वितर्क करते रहे। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार श्री अभय वर्मा, माननीय सदस्य को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किये जाने के बावजूद बाहर जाने से मना कर दिया था।)

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

9. 04.40 बजे वित्त वर्ष 2023—24 हेतु अनुदान मांगों पर विचार तथा पारित करना : श्री कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023—24 के लिए दिनांक 22 मार्च, 2023 को प्रस्तुत अनुदान मांगों पर मांग—अनुसार विचार किया गया। अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनि मत से स्वीकार किया गया।

10. 04.46 बजे विनियोजन (संख्या-3) विधेयक :

माननीय वित्त मंत्री ने सदन की अनुमित से 'दिल्ली विनियोजन (संख्या—3) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 04)' को सदन में पुर:स्थापित किया। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्विन मत से स्वीकार हुआ।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वान मत स स्वाकार हुआ।

विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।

माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव मत्दान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

11. 04.50 बजे अध्यक्ष महोदय ने एक वक्तव्य पढ़ते हुए सदन को यह सूचित किया कि वित्त विभाग ने दिनांक 22.03.2023 को आदेश जारी किया है कि प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष होंगे, जब कि इस तथ्य के बावजूद विधि विभाग ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि विधि विभाग, दिल्ली विधानसभा का प्रशासनिक विभाग नहीं है और ना ही हो सकता।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय वित्त मंत्री से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2023 को वापिस लेने का अनुरोध किया कि इससे पहले कि दिल्ली विधानसभा इस मामले पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ करे और दिनांक 27.02.2019 को सदन द्वारा अंगीकृत की गई सामान्य प्रयोजन समिति तथा राज्य विधानमंडलों को वित्तीय स्वायत्तता देने बारे 17—19 दिसम्बर, 2021 तक शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सचिव (विधानसभा) से संबंधित दस्तावेजों सहित अध्यक्ष की व्यवस्था / निर्देशों को सदस्यों के साथ सांझा करने का अनुरोध किया।

12. 04.56 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 27 मार्च, 2023

राज कुमार सचिव